

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

K.C/LIDA
महाशय
23/11/20

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं शान्तनु पिता - सरजू प्रसाद यादव
ग्राम कटैया पो0 सतगाँवा थाना सतगाँवा
जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा कोडरमा
2. थाना कोडरमा
3. थाना नं0 333
4. खाता नं0 61
5. प्लॉट नं0 3344
6. रकबा 8.64 डी0
7. भूमि का किस्म ईयती
8. अद्यतन रसिद नं0 0632622125 वर्ष - 2022-23
9. दा0 खारजि वाद संख्या 62/2019-2020

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन
शान्तनु

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....299/2022

आवेदक शांतनु पिता सरजु प्रसाद यादव, साकिन-कटैया, पोस्ट-सतगॉवा, थाना-सतगॉवा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया है।

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
कोडरमा	333	61	3344	8.64 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक01/.....12/2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-61, प्लॉट सं०-3344, रकवा-8.64 डी० भूमि शांतनु पिता सरजु प्रसाद यादव के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-78 भाग सं०-54 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-62/2019-20 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-102 दिनांक-22.11.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-61, प्लॉट सं०-3344, रकवा-8.64 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-61, प्लॉट सं०-3344, रकवा-8.64 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

24.11.2022

01.12.2022